राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक :– प.4(110)वित्त–1(1)आय.व्य/2020 जयपुर, दिनांक : 07.12.2021

स्वीकृति संख्या 464/2021–22

कोषाधिकारी
उदयपुर (राज.)

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 2420.00 लाख (अक्षरे रूपये चौबीस करोड़ बीस लाख) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार, आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में **कुल राशि रूपये 2420.00 लाख (अक्षरे रूपये चौबीस करोड़ बीस लाख) मात्र** निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

मांग संख्या – 30 (राशि रूपये लाख में)

क्रम संख्या	बजट मद (केन्द्रीय सहायता)	स्वीकृति संख्या/दिनांक	राशि
1.	4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 – जनजातिय क्षेत्र उपयोजना (11) – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनाऐं [01] – आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद् निर्माण कार्य	क्रमांक–एफ.6/सीटीएडी/लेखा/275(1)/प्रस्ताव/2021–22/जयपुर दिनांक 02.12.2021 21 एवं 23/2021–22	1835.00
	[13] – एकलव्य मॉडल के आवासीय विद्यालय,छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की मरम्मत एवं रखरखाव 17 – वृहद् निर्माण कार्य	22/2021–22	335.00
	[11] – खेल छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण 17 – वृहद् निर्माण कार्य	24/2021–22	150.00
	[14] – राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण 17 – वृहद् निर्माण कार्य	25/2021–22	100.00
योग			2420.00

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

भवदीय,

Sd/-

(श्रीकृष्ण शर्मा)
उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

(7)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा–प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग ,जयपुर
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)